प्रेषक

निदेशक
अर्थ एवं संख्या
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रेष्य,

आहरण–वितरण अधिकारी
अर्थ एवं संख्या निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः /3–ले0–1(1)/बजट/2015–16

दिनांकःदिसम्बर 02 ,2015

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में एन0आई0सी0 ऑफिस, सचिवालय परिसर के मेन्टिनेंस हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन, नियोजन अनुभाग–2 के पत्र संख्या–413/XXVI दो(14)/2014 दिनांक 26 नवम्बर 2015 द्वारा प्राप्त आवंटन अनुदान संख्या–07 लेखाशीर्षक 3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–आयोजनेत्तर–800– अन्य व्यय, 03–एन0आई0सी स्टेट यूनिट को अनुदान की मद सं0–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता के अन्तर्गत राज्य सूचना विज्ञान कार्यालय सचिवालय, परिसर देहरादून के मेन्टिनेंस हेतु वर्ष 2015–16 के लिए ₹ 2,000,00.00 (₹ दो लाख मात्र) के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए बजट आवंटन किया जा रहा हैः–

1– धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–400 दिनांक 01.04.2015 के प्राविधानों के अधीन ही सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त स्वीकृति के कम में अनुरक्षण कार्यों के सम्पादन हेतु धनराशि का व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्राविधानान्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

3– एन0आई0सी0 द्वारा उपरोक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों हेतु किया जायेगा, जो कार्य सक्षम स्तर से स्वीकृत हों तथा उपरोक्त प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु स्वीकृत धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

4– कार्यों की मासिक प्रगति प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यों का अनुश्रवण एवं भौतिक सत्यापन नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

5– कार्यों पर होने वाले उक्त व्यय का सम्परीक्षण महालेखा नियंत्रक, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं उपयोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाय।

6– 31 मार्च 2016 तक धनराशि का उपयोग न होने की स्थिति में अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण किया जा रहा है। अतः स्वीकृत की जा रही धनराशि पर प्राप्त होने वाले ब्याज आदि को राजकोष में जमा कर दिया जायेगा तथा इसकी सूचना शासन की दी जायेगी।

संलग्नक– एलोटमेंन्ट आई0डी0– H1512070101 दिनांकःदिसम्बर 02 ,2015

भवदीय,

(सुशील कुमार)
अपर निदेशक,
कृते निदेशक।

पत्रांकः 1888 /3–ले0–1(1)/बजट/2015–16 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले कार्यों को समस्त औपचारिकताओं सहित ससमय पूर्ण करते हुए तत्सम्बन्धी बिल आहरण–वितरण अधिकारी, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड,, देहरादून।

3– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4– गार्ड फाईल हेतु।

अपर निदेशक,
कृते निदेशक।